We all understand the issue. We all are concerned about it. This is a subject on which the Government may be requested to state its position. Without this, there is no point in agitating. We will convey the sense of the House to the Government and request them to let us know what they would like to do in the matter. Let us proceed with the question Hour. Question No 241.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

एपीडीआरपी की पुनर्संरचना

241. श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा:††
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) की विफलता के बाद सरकार ने नवीन त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी-II) आरंभ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके अंतर्गत क्या-क्या लक्ष्य निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस कार्यक्रम के प्रस्तावित लक्ष्यों को योजना आयोग द्वारा अवास्तविक घोषित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) सरकार ने सुधारों को प्रोत्साहित करने, सकल तकनीकी व वाणिज्यिक (एटी एंड सी) हानि में कमी लाने, विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार और उपभोक्ता संतुष्टि में सुधार के उद्देश्य से वर्ष 2002-03 में त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) आरंभ किया था। एपीडीआरपी के अंतर्गत शहरी और अधिक खपत वाले क्षेत्रों से आरंभ करके 5 वर्षों में एटी एंड सी हानियों को 15% तक कम करने का लक्ष्य था। जहां एपीडीआरपी को कार्यान्वित किया गया है, ऐसे नगरों में एटी एंड सी हानि में कमी आई है। इसके अलावा, कतिपय यूटिलिटियों, जिन्होंने कार्यक्रम के अंतर्गत परिकल्पित विभिन्न हस्तक्षेपों को माना है, की एटी एंड सी हानियों में कमी आई है। नगर स्तर पर, देश में 215 एपीडीआरपी नगरों में एटी एंड सी हानियों को 20% से नीचे और 163 नगरों में 15% से नीचे लाया गया है।

विद्युत मंत्रालय ने स्वतंत्र एजेंसियों के जरिए कार्यक्रम का मूल्यांकन किया। 10वीं योजना से आगे एपीडीआरपी को जारी रखने की अनुशंसा करते हुए मूल्यांकनकर्ताओं ने बेहतर परिणामों को प्राप्त करने के लिए कतिपय सुझाव दिए। राज्य विद्युत और योजना आयोग ने भी कार्यक्रम में कतिपय संशोधन प्रस्तावित किए हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, विद्युत मंत्रालय ने वर्तमान प्रयासों, विभिन्न एजेंसियों द्वारा दिए गए सुझावों के मूल्यांकन और विश्लेषण के लिए और एपीडीआरपी के उद्देश्यों को प्राप्त करने के निमित्त कार्यक्रम के पुनर्गठन का सुझाव देने की दृष्टि से भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री पी. अब्राहम की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया। इसके बाद राज्यों के साथ विचार-विमर्श किया गया। एपीडीआरपी के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों समेत विभिन्न स्टेक होल्डरों की सिफारिशों/सुझावों और कार्यक्रम की परिणामोन्मुख वांछनीयता को ध्यान में रखते हुए, कार्यक्रम को ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संशोधित सेवा शर्तों के साथ इसको पुनर्गठन करना प्रस्तावित है।

---

††सभा में यह प्रश्न श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा द्वारा पूछा गया।

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में पुनर्गठित एपीडीआरपी को चयनित परियोजना क्षेत्रों में आरंभ करने का प्रस्ताव है ताकि एटी एण्ड सी हानि के बेसलाइन डाटा की स्थापना करने, वितरण नेटवर्क सुधारने के लिए परियोजनाओं को मंजूर करने और एटी एंड सी हानि में कमी के अपेक्षित स्तर को प्राप्त करने वाली यूटिलिटियों को प्रोत्साहित किया जा सके।

(ग) और (घ) सरकार संशोधित प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रही है।

Restructuring of APDRP

†*241. SHRI RAJ MOHINDER SINGH MAJITHA:††
DR. MURLI MANOHAR JOSHI:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government has decided to launch a new Accelerated Power Development and Reforms Programme (APDRP-II), after the failure of Accelerated Power Development and reforms Programme (APDRP);

(b) if so, the targets proposed to be fixed thereunder;

(c) whether it is also a fact that the targets proposed under this programme have been declared unrealistic by the Planning Commission; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF POWER (SHRI SUSHILKUMAR SHINDE): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) The Government had launched the Accelerated Power Development and Reforms Programme (APDRP) in the year 2002-03 with the objective of encouraging reforms, reducing Aggregate Technical and Commercial (AT&C) loss, improving quality of supply of power and improving consumer satisfaction. The target was to reduce AT&C losses to 15% in five years to begin with in urban and high density consumption areas. AT&C loss has come down in towns where APDRP has been implemented. Further, some of the utilities which adopted various interventions as envisaged under the programme have shown significant reduction in AT&C loss. At town level, AT&C losses have been brought below 20 per cent in 215 APDRP towns in the country of which 163 towns have brought AT&C losses below 15 per cent.

The Ministry of Power took up the evaluation of the programme through independent agencies. While recommending the continuance of the APDRP beyond Tenth Plan, the evaluators made certain suggestions for achieving better results. The State Power Utilities and the Planning Commission had also proposed certain modifications in the programme. Considering this, the Ministry of Power constituted a task Force, headed by Shri P. Abraham, former Secretary, Government of India, to assess and analyze the current efforts, suggestions made by various agencies and to suggest restructuring of the programme to achieve the objectives of APDRP. There have been discussions with the States thereafter. Keeping in view the recommendations/suggestions of the various stakeholders including State

†Original notice of the question was received in Hindi.

††This question was actually asked on the floor of the House by Shri Raj Mohinder Singh Majitha.

Governments on the implementaiton of APDRP, and the desirability of having a result oriented programme, the programme is proposed to be restructured with revised terms and conditions during the Eleventh Five Year Plan to make it more effective.

(b) It is proposed to introduce a restructured APDRP in the Eleventh Five Year Plan in selected project areas with focus on establishing baseline data of AT&C loss, sanctioning projects for improvement of distribution network and incentivising utilities which achieve the desired level of AT&C loss reduction.

(c) and (d) The revised proposal is being appraised in the Government.

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा: सभापति जी, सरकार ने तुरंत बिजली विकास और सुधार कार्यक्रम, जो 2003 में बनाया गया था, की फेल्योर को देखकर इसे नया रूप देने का निर्णय लिया था। मैं जानना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम के तहत सरकार की योजनाओं की नतीजा क्या है? क्या सरकार ने पहले कार्यक्रम से मिली फेल्योर के कारणों का पता लगाया है? नया कार्यक्रम के फेल्योर का कोई कारण न बने, इसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

श्री सुशीलकुमार शिन्दे: सभापति जी, एपीडीआरपी के प्रोग्राम में इवैल्यूएशन कमेटी अपोइन्ट की थी। हमारे डिपार्टमेंट में इवैल्यूएशन कमेटी हमेशा एपोइन्ट की जाती है जिससे पता चले कि पांच साल के कार्यक्रम में किस प्रकार का कार्य हुआ है। एक्स सेकेट्री डिपार्टमेंट के नेतृत्व में इब्राहीम कमेटी इवैल्यूएशन करने के लिए एपोइन्ट की गई थी। उनकी रिपोर्ट में बहुत सारी बातें आ गई। जिस कार्यक्रम में लोग हिस्सा ले रहे थे, उसमें हमने सफलता पाई है, लेकिन जो फिफ्टी परसेंट कम करना था- मेरे पास जो रिपोर्ट आई है उसमें काफी सुधार हो गए है। 215 यूनिट में 2 परसेंट तक की रिडक्शन हो गई है। 163 टाउन्स में 15 प्रतिशत तक की रिडक्शन हो गई है। इस तरह का अच्छा काम हो रहा है। हमने इवैल्यूएशन इसलिए करवाया था कि कहीं इसमें और सुधार तो नहीं करने हैं। इवैल्यूएशन रिपोर्ट में यह कहा गया है कि यह स्कीम प्राइवेट क्षेत्र में भी एक्टेंड कर दी जाए। इस प्रकार की उन्होंने सूचना दी है। और भी बहुत सी सूचनाएं हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन में बहुत वक्त लगेगा। बेसिकली उसमें यही बात बताई गई है यह स्कीम कंटीन्यू होनी जरूरी है।

श्री राज मोहिन्दर सिंह मजीठा: सभापति जी, आपके माध्यम से मिनिस्टर साहब से इन्फॉर्मेशन चाहूंगा कि पावर डेवलपमेंट, एपीडीआरपी-सैकिण्ड में सरकार ने बिजली क्षेत्र के किस-किस क्षेत्र में सुधार और विकास के लक्ष्य तय किए हैं? मैं जानना चाहता हूं कि ऊपर के कार्यक्रम के तहत आगमी 11 वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी ट्रांसमिशन एण्ड डिस्ट्रिब्यूशन लॉसेज बिजली उत्पादक इकाइयों में राष्ट्रीय स्तर पर सत्रहवां प्लांट लॉड फैक्टर की दर का क्या टारगेट है? इस टारगेट को पाने के लिए ऊपर के हरेक क्षेत्र में खर्च करने के लिए कितनी-कितनी राशि की जरूरत होने का अंदाजा लगाया गया है?

श्री सुशीलकुमार शिन्दे: सभापति महोदय, सम्मानित सदस्य ने तो इतना बड़ा क्वैश्चन पूछा है कि देश की capacity क्या है, कितना पैसा लगाना है और किस तरह की ट्रांसमिशन करनी चाहिए। मैं बताना चाहूंगा कि हमने 11वें प्लान में जो capacity addition तय किया है, वह 73,577 मेगावाट की capacity है। मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि गए 15 साल में 8वीं, 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजना में केवल 54 हजार मेगावाट की capacity addition हो गई है। यह सब देख कर हमने अच्छी monitoring करके 15 साल में जो 54 हजार मेगावाट की capacity addition हो गई है, यह पूरा अनुभव लेते हुए हम सब लोग बैठे, स्टेट के वित्त मंत्रियों को इकट्ठा बुलाया, चीफ सेक्रेटरीज को इकट्ठा बुलाया और उन्हें टारगेट दे दिया और 5 साल में 78,577 मेगावाट की capacity देना तय किया। इस पर आप जरा सोचिए कि गए 15 साल में 54 हजार और आने वाले 5 साल में हम 78 हजार मेगावाट देंगे। इसमें जो और captive हो रहा है, मैंने उसका calculation नहीं किया है। इसमें और भी best efforts के कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। हम monitor कर रहे हैं। मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि गए 15 साल में कुछ भी नहीं हुआ, तो यह बिजली तो एकदम तुरंत नहीं आती है। इसमें 4-5 साल लगेंगे। मैं यह बताऊंगा कि 2012 तक इस देश को on demand बिजली मिल जाएगी, इस तरह का प्रबन्ध हमने किया है। 37 हजार मेगावाट की जो

transmission line है, हम उसका भी प्रबन्ध कर रहे हैं, ताकि उसके लिए कुछ दिक्कत न आ जाए। इस प्रकार का प्रावधान हमने किया है।

SHRI SHANTARAM LAXMAN NAIK: Sir, Goa is always in the news and beaches of Goa are also in the news. There is a proposal from the Government of Goa to have underground cabling along the beaches of Goa for various security reasons and other reasons, so that uninterrupted power supply is available at all the beaches of Goa. Are you going to consider the proposal of the Government of Goa to have underground cabling along the coast of Goa?

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Sir, in Goa, earlier also, we had considered the proposal for underground transmission lines. In Margaon, underground cables have been laid down and it has been working. Some other proposals have also come to us. We are examining them. Certainly, Goa assumes a special importance as far as tourism is concerned and we will certainly, consider to lay down the underground transmission lines in Goa.

DR. K. MALAISAMY: Mr. Chairman, Sir from generation to distribution, there are various processes. I am inclined to ask from the hon. Minister, what is the loss in terms of transmission, theft and pilferage is. Part (B) of my supplementary is this. They have gone for the second phase after have seen that the first phase is not working. In other words, the first phase proved to be a failure; that is why they went for the second phase. In such a situation, I would like to know from the hon. Minister whether the first phase was not envisage or conceived correctly and they have gone to the extent of trial and error method.

SHRI SUSHILKUMAR SHINDE: Sir, I must bring it to the note of the hon. Member that I have already explained in the reply itself that the first phase was not at all a failure. It did give some results. As I said in the first phase , in 215 APDRP towns losses have come down to below 20 per cent and in 163 towns, it has come down to 15 per cent. As for the total losses in the country, has gone up to more than 40 per cent.

Then it came to 38 per cent and, today, it is 32 per cent. But by the efforts that have been made through the APDRP, it has been seen that it is going down and down and that is why we are still going to lay more stress on it in order to improve it more and more. If you see the results achieved in these towns, it has been proved that this Scheme has been totally successful and, therefore, more stress has now been laid on this.

डॉ॰ (श्रीमती) नजमा ए॰ हेपतुल्ला: सर, माननीय मंत्री जी ने ट्रांसमिशन लॉस के बारे में बहुत विस्तार से जवाब दिया। आपने कहा कि हम इलेक्ट्रिसिटी पावर जेनरेशन में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, तो फिर क्या 123 एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है।

श्री सुशीलकुमार शिन्दे: यह 123 एग्रीमेंट का क्वेश्चन दूसरे डिपार्टमेंट से रिलेटिड है, लेकिन 123 सिविल न्यूक्लियर.... (व्यवधान)...

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: जब हम इसमें सेल्फ सफीशिएंट बन जाएंगे, तो यह पावर से संबंधित ही है ना।

श्री सुशीलकुमार शिन्दे: यह ठीक है, इसीलिए मैं यह बात कह रहा हूं, लेकिन फिर भी वह 123 एग्रीमेंट की बात कर रही हैं, इसका मतलब यह है कि यहां वह सिविल न्यूक्लियर पावर के बारे में पूछना चाहती हैं। चूंकि 123 एग्रीमेंट

का पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा है और बड़ा होने की वजह से इस देश के लिए सिविल न्यूक्लियर पावर की जरूरत है। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग सत्ता में थे, यह प्रोसेस तभी से शुरू हो गया था। मनमोहन सिंह जी की सरकार के आने के बाद इसे और बढ़ावा मिला और अब यह एग्रीमेंट फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है और अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यह देश के लिए जरूरी है।

Report of National Commission for Scheduled Castes

*242. MS. SUSHILA TIRIYA: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the National Commission for Scheduled Castes has submitted its report to Government;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the recommendations of the report?

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MEIRA KUMAR): (a) to (c) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (c) The National Commission for Scheduled Castes (NCSC) has submitted 1st Annual Report for the year 2004-05 and its First Special Report for the period 01.04.2006 to 30.09.2006.

Annual Reports for the years 2005-06 and 2006-07 are still to be submitted.

MS. SUSHILA TIRIYA: Sir, *in her reply, the Minister has said that the National Commission* for Scheduled Castes has submitted 1st Annual Report for the year 2004-05 and its First Special Report for the period 01.04.2006 to 30.09.2006.

Sir, my first supplementary is whether these reports have highlighted the increased number of atrocities on Scheduled Caste people in different parts of the country and whether these reports have given any relief to those deprived people. I also want to know the time-limit within which the action will be taken on it.

SHRIMATI MEIRA KUMAR: Sir, I deeply appreciate the concern of the hon. Member regarding the atrocities on SC/ST. So far as this report, submitted by the National Commission for Scheduled Castes, is concerned, Sir, after we receive the report, there is a constitutional provision that we circulate it to the various Ministries and Departments to take action on it. So, we have circulated this report to all the Ministries and Departments to take actions on the recommendations of the report, and after we have received the Action Taken Report from them then we will prepare the Action Taken Memorandum and lay it on the Table of the House. Unless we lay it on the Table of the House, I will not be able to give the details.

MS. SUSHILA TIRIYA: Sir, my second supplementary is, what is the total percentage of population of the SC category people as on date and has not the Government been able to fill up the posts reserved for SCs in spite of repeated assurances given in the House by different Ministries? Sir, this is what I want to know.

SHRIMATI MEIRA KUMAR: Sir, this is outside the scope of this question. But, in any case, I would like to say that as per the Census of 2001, the population of the Scheduled